



हिल (इंडिया) लिमिटेड

प्रधान कार्यालय
नई दिल्ली

सं0सं0 ई. II.37

दिनांक: 12.06.2018

कार्यालय आदेश सं0 (55/2018-19)

अवर सचिव, भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के ज्ञापन सं0 डब्ल्यू -02 /0020/2018-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल- XII/18 के संप्रेषण के अनुसार उपदान भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018 के कार्यालय आदेश सं0 46/2018 के क्रम में विषय पर कर्मचारी को देय उपदान की राशि उक्त अधिनियम के अनुसार दिनांक 29.03.2018 से 20,00,000/- रु0 (रुपये बीस लाख) से अधिक नहीं होगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पी.सी. सिंह)

महाप्रबन्धक (मा.सं. एवं प्र.)

वितरण:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय
2. निदेशक (विपणन)/निदेशक (वित्त) का कार्यालय
3. महाप्रबन्धक (मा.सं. एवं प्र.)/महाप्रबन्धक (वित्त)
4. यूनिट प्रमुख (रसायनी/उद्योगमंडल/बठिंडा)
5. सभी क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय
6. अनुसंधान एवं विकास केन्द्र
7. सूचना पट्ट